न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 20/2019 दायरा दिनांक : 15.03.2019

उनवान

1— लक्ष्मीनारायण पिसरान जयलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

2— मोतीलाल पिसरान जयलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

3— द्वारकीलाल पिसरान जयलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

4— भैरू लाल पिसरान मोहनलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

5— भैरू लाल पिसरान मोहनलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

6— कंचन बाई आत्मज जयलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

7— गोपाली बाई पत्नी स्वर्गीय जयलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

8— देवकरण आत्मज जयलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

9— भूरालाल आत्मज मांगीलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

10— भूली बाई पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– भैरू लाल आत्मज धन्ना लाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

2– तेजकरण आत्मज मोती (मृतक) जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

3– रमेश चन्द आत्मज मांगीलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

4– छोटीबाई आत्मज जयलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

5– रोशनबाई आत्मज मोहनलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

6– लटूर लाल आत्मज जयलाल मृतक, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

7– स्वाणीबाई आत्मज मोहनलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

8– गोरधन आत्मज मोती, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

9– रामकंवरी बाई पत्नी मोती (मृतक), जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

10– रामप्रसाद आत्मज मोतीलाल, जाति गूर्जर, निवासी कुआगांव, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

11– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बद्रीलाल माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, असनावर के प्रकरण संख्या – 57/2018 निर्णय दिनांक 17.01.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कुआभाव, तहसील असनावर के खाता संख्या 73/66 की आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.0885 हेक्टर, खसरा नम्बर 619 रकबा 0.3161 हेक्टर, खसरा नम्बर 622/325 रकबा 0.0759, खसरा नम्बर 625/326 रकबा 0. 1265 हेक्टर, खसरा नम्बर 628/327 रकबा 0.1138 हेक्टर, खसरा नम्बर 631/632 रकबा 0.1391 हेक्टर, खसरा नम्बर 634/333 रकबा 0.2908 हेक्टर, खसरा नम्बर 637/334 रकबा 0.759 हेक्टर कुल 8 किता की 1.2266 हेक्टर आराजी में आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 318 की पश्चिमी मेड़ से अप्रार्थीगण 1 लगायत 19 के खातेदार की आराजी खसरा नम्बर 319 की पश्चिमी मेड़ से खसरा नम्बर 320 की उत्तरी मेड़ पर से नाले में होता हुआ खसरा नम्बर 335 की मेड़ व नाले से लगता हुआ प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 634/333 व 637/334 पर होकर 10 फीट चौड़ा रास्ता है जिसका राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं होने से अप्रार्थीगण व्यवधान करते हैं, जिससे उसके बैलगाड़ी, ट्रैक्टर–ट्रोली, हल कुली लाने ले जाने में व कृषि पैदावार लाने ले जाने में कठिनाई होती है जिस पर रास्ता डी एल सी की दर से मुआवजा तय करते हुए घोषित किया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें काश्तकारी आराजी में आने जाने का रास्ता नहीं होने पर ही रास्ता काश्तकारी आराजी में नियत दर से काश्तकार को अदा

किये जाने के उपरान्त रास्ते के दर्ज करने की घोषणा का अधिकार दिया है । विद्यमान प्रकरण में तो प्रार्थी के पास उसकी आराजी पर आने जाने के लिए रास्ता सलंग्न फोटो प्रति नजरी नक्शे के अनुसार उस पर दर्शित खसरा नम्बर 92 के पश्चिम में खसरा नम्बर 344, 341 तथा 337 के मध्य में होता हुआ अपनी आराजी पर आने जाने के लिए हमेशा से ही स्थित रहा है जिसमें वह तथा अन्य खातेदार भी अपनी खातेदारी की आराजी को काश्त करने के लिए निकलते आ रहे हैं । उसके उपरान्त भी रास्ता नहीं होने बाबत प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के सम्बन्ध में हल्का पटवारी की रिपोर्ट तैयार करते समय अप्रार्थी को सूचित नहीं किया न ही उसके समक्ष मौका ही देखा गया । प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के सम्बन्ध में हल्का पटवारी की रिपोर्ट नहीं ली जाकर भू अभिलेख हल्का निरीक्षक कानूनगों की रिपोर्ट ली जाने का प्रावधान है । प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी भी नहीं हुआ है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में बनाये गये पक्षकार नम्बर 6, 15 व 18 की मृत्यु हो चुकी थी उसके उपरान्त भी मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रार्थना पत्र में प्रस्थापित किये प्रार्थना पत्र को निर्णीत किया है । अप्रार्थी नम्बर 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ है किन्तु उसके उपरान्त भी उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया है । राजस्व अभिलेख में किसी भी प्रकार से रास्ता नहीं है । पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता कभी भी विद्यमान नहीं रहा है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय व तथ्यों के सर्वथा विपरीत तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरीत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2019 अपास्त किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 (ए) के अन्तर्गत विधिपूर्वक सुनवाई

कर न्यायोचित निर्णय पारित किया गया है, जिससे किसी पक्षकार के हित विपरीत प्रभावित नहीं होते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा